न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 43 / 2026	2026 / 77	27.04.2026	26.05.2026

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक मालाखेडा, कार्यालय जिला रसद अधिकारी

—प्रार्थी

बनाम

1. रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामचरण गुप्ता निवारी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत्।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. गिराज प्रसाद गुप्ता —वकील अप्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6"ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 20.04.2026 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं प्रगति बरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, मालाखेडा बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विजयपाल यादव, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के अवैध संग्रहण एवं प्यापार की जांच हेतु श्री रमेंश चंद गुप्ता पुत्र श्री रामचरण गुप्ता, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर के ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा स्थित आशीष प्रियांशु जनरल स्टोर पर पहुंची।

मौके पर श्री रमेश चंद गुप्ता पुत्र श्री रामचरण गुप्ता निवसी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री रमेश चंद गुप्ता पुत्र श्री रामचरण गुप्ता की उपस्थिति में जनरल स्टोर की जांच की गई। जांच में जनरल स्टोर में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर संग्रहित पाये गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री रमेश चंद गुप्ता पुत्र श्री रामचरण गुप्ता द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं अवैध व्यापार किया जाता है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 4 घरेलू

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० ओसवाल एचपी ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री रतिराम ओसवाल पुत्र श्री ओमकार प्रसाद निवासी ग्राम बीजवाड़ नरूका, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायालय हाजा द्वारा प्रेषित नोटिस कमांक-311 दिनांक 27.04.2026 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी मालाखेडा (अलवर) की टीम द्वारा दिनांक 20.04.2026 को मेरे घर से दो खाली एवं दो भरे सिलेण्डर जब्त किये गये थे। उक्त चारों सिलेण्डर मेरे व मेरे परिवार क व्यक्तियों के नाम पर है। अप्रार्थी व उसके परिवारजन एक ही जगह पर पास पास निवास करते हैं जिस कारण वो खाली सिलेण्डर एक ही स्थान पर रखते हैं। प्रार्थी के पकडे गये चारों सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	सिलेण्डर क्रमांक	उपभोक्ता क्रमांक	एजेंसी का नाम
1.	रमेश चंद गुप्ता (स्वयं)	779772	7227704599	IOCL
2.	योगराज गुप्ता पुत्र तुलसीदास (भतीजा)	303922	120399460	BPCL
3.	देवाशीष गुप्ता पुत्र नवल किशोर गुप्ता (चाचा का लडका)	148436	2618	IOCL
4.	अमित कुमार गुप्ता पुत्र सतीश चन्द गुप्ता (भतीजा)	108913	3623	IOCL

श्रीमान जी उपरोक्त चारों सिलेण्डर हमारे स्वयं के घरेलू है। हम सभी एक साथ एक ही मकान में रहते है, आपसे विनम्र आग्रह हैं कि, उक्त, सिलेंडरों को मुझे दिलवाने का श्रम करे।

उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रवर्तन अधिकारी का कथन है कि दिनांक 20.04.2026 को विभागीय टीम द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा स्थित आशीष प्रियांशु जनरल स्टोर पर जांच की गई। मौके पर अप्रार्थी रमेश चंद गुप्ता उपस्थित मिले तथा उनकी दुकान से 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। इसे घरेलू सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं अवैध व्यापार मानते हुए सिलेण्डरों को जब्त कर मै० ओसवाल एचपी ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री रतिराम ओसवाल पुत्र श्री ओमकार प्रसाद निवासी ग्राम बीजवाड नरूका, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर को सुपुर्दगी में दिया गया तथा राजसात करने का निवेदन किया गया।

जवाब में अप्रार्थी रमेश चंद गुप्ता ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अप्रार्थी का तर्क है कि उक्त 4 घरेलू सिलेण्डर आशीष प्रियांशु जनरल स्टोर ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर से गलत प्रकार से 02 खाली सलैण्डर व 02 भरे सिलेण्डर जप्त किये गये है, जबकि उक्त जनरल स्टोर के पीछे मिन अप्रार्थी का निवास स्थान है, जहाँ पर वह परिवार सहित निवास करता है। मिन अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का संग्रहण या अवैध व्यापार व्यवसाय नही किया जाता है। उक्त चारो सिलेण्डर मिन प्रार्थी व उसके परिवार के व्यक्तियो के नाम पर ही है। अप्रार्थी व उसके परिवारजन एक ही जगह पर पास पास निवास करते है जिस कारण वो खाली

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

सिलेण्डर एक ही स्थान पर रखते है। अप्रार्थी ने अपने घरेलू गैस कनेक्शनों की वैधता के समर्थन में पासबुक/दस्तावेज प्रस्तुत कर सिलेण्डर वापस दिलाने का विनम्र आग्रह किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बनाए गए जब्ती मेमो और प्रस्तुत रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि मौके पर इन घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किसी अवैध संग्रहण एवं व्यापार में किया जा रहा था। केवल सिलेण्डरों का पाया जाना, व्यावसायिक उपयोग को प्रमाणित नहीं करता है। अप्रार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि

उक्त जनरल स्टोर के पीछे मिन अप्रार्थी का निवास स्थान है, जहाँ पर वह परिवार सहित निवास करता है और संयुक्त परिवार होने के कारण एक ही मकान में उनके गैस कनेक्शन हैं, स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। अप्रार्थी ने यह स्पष्ट किया है कि चारो सिलेण्डर की गैस पास बुक मिन अप्रार्थी के पास है जिसका विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस खंडन नहीं किया गया है।

अतः, जब अप्रार्थी के पास वैध गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं और विभाग द्वारा इन सिलेण्डरों के अवैध संग्रहण एवं व्यापार का कोई प्रत्यक्ष एवं ठोस प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो मात्र संदेह के आधार पर इन घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलेक्टर
अलवर, (राज०)